राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प.क्र.:- 6(30) राज-6/2000/4 जयपुर, दिनांक:- 17.2.05

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 102 के साथ पठित धारा 261 की उपधारा (2) के खण्ड (xliv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आवंटन) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आवंटन) (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का संशोधन.-राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आवंटन) नियम, 1957 के नियम 6 में, विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यदि गौशालाओं को आवंटन के लिए कोई उपयुक्त सवाईचक भूमि उपलब्ध नहीं है और ग्राम के पशुओं की चराई के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध रहती है तो इन नियमों के अधीन चरागाह भूमि आवंटित की जा सकेगी।"।

राज्यपाल के आदेश से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदया/राजस्व मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राज.।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.2.05 में प्रकाशनार्थ।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व/उपनिवेशन।
11. अतिरिक्त निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर (वित्त एवं लेखा)
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव